



# कार्यालय-प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय छपारा, जिला-सिवनी (म.प्र.)

NAAC- "C"

E-mail : hegchhseo@mp.gov.in

Phone : 07691-290286, Fax 07691-290286

Website : http://www.mphighereducation.nic.in/gdcchhapara

Address: Lalmati, Behind Petrol Pump Chhapara, Seoni(M.P.)

क्र. / 459 / 2020

छपारा, दिनांक 27/11/2020

// विज्ञप्ति //

महाविद्यालय के विज्ञान संकाय के अन्तर्गत कम्प्यूटर विज्ञान विषय में अध्यापन कार्य हेतु एक अतिथि विद्वान की आवश्यकता है। कम्प्यूटर विज्ञान में कार्यरत अतिथि विद्वान की अन्यत्र नियुक्ति हो जाने के कारण अध्यापन कार्य बाधित हो रहा है। तत्संदर्भ में उच्च अधिकारियों द्वारा दूरभाष में दिये गये निर्देशों के अनुसार महाविद्यालय में जनभागीदारी मद से अतिथि विद्वान के रूप में अल्प कालिक या शासन द्वारा नियुक्ति किये जाने तक के लिये अध्यापन कार्य हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। विवरण निम्नानुसार है -

क्र.	विषय	पद संख्या	पाठ्यक्रम	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	मानदेय
01	कम्प्यूटर विज्ञान	01	स्नातक	01. न्यूनतम 50 प्रतिशत या इससे अधिक, एक विषय कम्प्यूटर विज्ञान सहित स्नातक उत्तीर्ण। 02. 55 प्रतिशत या इससे अधिक अंकों के साथ कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण 03. अन्य कोई उपाधि यदि अर्जित की हो	एक मुस्त 10,000/- प्रति माह

**आवेदन पत्र भेजने का पता:-** प्राचार्य/सचिव जनभागीदारी समिति शासकीय महाविद्यालय छपारा जिला सिवनी (म.प्र.)।

**आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि:-** आवेदन आवश्यक संलग्नों सहित पंजीकृत डाक द्वारा दिनांक 15 दिसम्बर 2020 तक कार्यालयीन समय में प्राप्त हो जाना चाहिए। अपूर्ण एवं निर्धारित दिनांक के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

**आवश्यक सेवा शर्तें:-**

- उच्च उपाधि या उच्च अंक प्राप्त या अनुभव प्राप्त आवेदक को वरीयता दी जावेगी।
- चयनित अतिथि विद्वान को किसी भी शासकीय/अशासकीय/अर्द्धशासकीय या अन्य निजी संस्था में अल्प कालिक/पूर्णकालिक सेवा में नियोजित नहीं होना चाहिए।
- अतिथि विद्वान को कार्य दिवसों में प्रति दिन 6 घंटे महाविद्यालय में उपस्थित रहना होगा तथा अध्यापन कार्य के अतिरिक्त प्राचार्य के द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य भी करना होंगे।
- शासकीय अवकाश के दिवसों को छोड़ कर चयनित अतिथि विद्वान को किसी भी प्रकार के अवकाश की पात्रता नहीं होगी।
- कार्य संतोषप्रद न होने की स्थिति में या अन्य किसी विवादित स्थिति में चयनित अतिथि विद्वान की व्याख्यान देने की पात्रता बगैर पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।
- उक्त पद पूर्णतः अस्थायी है तथा किसी भी स्थिति में लोक सेवक की परिभाषा में समाहित नहीं है।
- शासन द्वारा उक्त पद पर नियुक्ति होने पर सेवा स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी।

पृ.क्र. / 460 / 2020

प्रतिलिपी:-

प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर शाखा उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन सतपुडा भवन भोपाल, कृपया विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

प्राचार्य  
शासकीय महाविद्यालय छपारा  
जिला-सिवनी (म.प्र.)  
छपारा दिनांक 27/11/2020

प्राचार्य  
शासकीय महाविद्यालय छपारा  
जिला-सिवनी (म.प्र.)  
Chhapara Dist.-Seoni